न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या– 538 / 2023

अनवान : –

1. शलेन्द्र सिंह पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. रोहताश पुत्र हरी राम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73 / 69 की कुल 10.9800 एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 377 / 351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 378 / 352 की कुल 32.2110 हैक्ट भूमि के वादीगण मुश्तरका खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीगण के नाम क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश दर्ज है जबकि वादीगण के दस्तावेजों में सही नाम क्रमशः शलेन्द्र सिंह व रोहताश दर्ज है। इसलिए वादीगण मुताबिक दस्तावेजात के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादीगण को वर्तमान में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं की सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है गतवर्ष से आजतक राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम सही दर्ज नही होने से किसी भी सरकारी योजना का लाभ वादीगण को नही मिला है।

वादीगण ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दुरूस्त कर देवें जिस पर प्रतिवादी कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 9927 दिनांक 08.08.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश दर्ज है जबकि वादीगण के दस्तावेजों में सही नाम क्रमशः शलेन्द्र सिंह व रोहताश दर्ज है मुताबिक दस्तावेज वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण का सही नाम क्रमशः शलेन्द्र सिंह व रोहताश है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के

नाम क्रमशः शलेन्द्र व रोहताश गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादीगण अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः मुताबिक वादीगण के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/69 की कुल 10.9800 एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 378/352 की कुल 32.2110 हैक्ट भूमि के वादीगण मुश्तरका खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश दर्ज राजस्व रिकार्ड है के स्थान पर वादीगण अपना नाम क्रमश शलेन्द्र सिंह व रोहताश दर्ज करवाना चाहता। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73/69 की कुल 10.9800 एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 378/352 की कुल 32.2110 हैक्ट भूमि के वादीगण मुश्तरका खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी संख्या 1 का नाम शलेन्द्र के स्थान पर शलेन्द्र सिंह व वादी स0 2 रोहिताश के स्थान पर रोहताश के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीगण क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश के नाम देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नाबूद से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 538 / 2023

अनवान : –

1. शलेन्द्र सिंह पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. रोहताश पुत्र हरी राम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 538 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 73 / 69 की कुल 10.9800 एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 377 / 351 की कुल 4.0470 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 378 / 352 की कुल 32.2110 हैक्ट भूमि के वादीगण मुश्तरका खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी संख्या 1 का नाम शलेन्द्र के स्थान पर शलेन्द्र सिंह व वादी स0 2 रोहिताश के स्थान पर रोहताश के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीगण क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश के नाम देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमशः शलेन्द्र व रोहिताश नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested